IAS GS World PCS
Committed To Excellence
विशिष्ट संपादकीय सारांश
09 फरवरी 2024

एकरूपता की ओर

द हिन्दू
पेपर- II (राजव्यवस्था)

समान नागरिक संहिता (यूसीसी) एक धर्मनिरपेक्ष देश के लिए एक वांछनीय और प्रगतिशील लक्ष्य है। हालाँकि, विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच विविध सांस्कृतिक और सामाजिक प्रथाओं के लिए उचित छूट दिए बिना केवल एकरूपता आदर्श नहीं हो सकती है। उत्तराखंड विधानसभा द्वारा अपनाए गए यूसीसी का उद्देश्य सभी समुदायों के बीच विवाह, तलाक और उत्तराधिकार से संबंधित कानूनों को समेकित करना है। स्वतंत्रता-पूर्व गोवा के बाद नागरिक मामलों के लिए समान संहिता अपनाने वाला राज्य पहला राज्य बन गया है। संविधान का विशेष रूप से उल्लंघन इस यूसीसी में विचित्र भाग है जिसका उद्देश्य पंजीकरण के माध्यम से लिव-. इन संबंधों को औपचारिक बनाना है । पंजीकरण न कराने पर तीन महीने की जेल की सजा के प्रावधान से नागरिकों के निजी जीवन में यह अवांछित घुसपैठ और भी बदतर हो गई है। यह नागरिकों को दखल देने वाली पूछताछ, सामाजिक शत्रुता और स्वतंत्रता के निरर्थक अभाव का सामना करना पड़ेगा। हालाँकि इसमें लिव-इन संबंधों से पैदा हुए बच्चों को वैधता प्रदान करने और परित्याग की स्थिति में रखरखाव को अनिवार्य करने जैसी सकारात्मक विशेषताएं शामिल हैं, लेकिन यह विचार कि साथ रहने वाले लोगों को खुद को पंजीकरण और सत्यापन के लिए प्रस्तुत करना चाहिए, व्यक्तिगत अधिकारों के प्रतिकूल है।

जब संविधान निर्माताओं ने यूसीसी को अपनाना निदेशक सिद्धांतों में से एक बनाया, तो इस बात पर राय विभ.ाजित थी कि क्या यूसीसी अल्पसंख्यक अधिकारों को कमजोर करेगा या सभी धर्मों में महिलाओं के लिए समान स्थिति को बढ़ावा देगा। बीआर अंबेडकर का मानना था कि यदि यूसीसी अधिनियमित होता है, तो प्रारंभिक चरण में इसे स्वैच्छिक होना चाहिए। पिछले विधि आयोग ने कहा था कि यूसीसी न तो वांछनीय है और न ही आवश्यक है, और इसके बजाय, उसने सुझाव दिया था कि भेदभाव या प्रतिगामी प्रथाओं को खत्म करने के लिए व्यक्तिगत कानून के प्रत्येक निकाय में सुधार किया जाना चाहिए। हालाँकि, वर्तमान विधि आयोग ने इस विच.ार को पुनर्जीवित किया है और जनता से विचार एकत्र करना शुरू कर दिया है। ऐसा लगता है कि उत्तराखंड संहिता का अधिकांश भाग विवाह और उत्तराधिकार पर मौजूदा कानूनों से उध.ार लिया गया है, लेकिन महत्वपूर्ण चूक के साथ। उदाहरण के लिए, विवाह विच्छेद के लिए संहिता ही एकमात्र रास्ता है और

समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक

- विधेयक के भाग-1 में विवाह और विवाह विच्छेद का जिक्र है। वहीं भाग-2 में विवाह और विवाह विच्छेद पंजीकरण को जगह दी गई है।
- समान नागरिक संहिता सभी के लिए विवाह की न्यूनतम आयु को स्पष्ट रूप से परिभाषित करती है, जिसमें युवक की आयु 21 वर्ष और युवती की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
- इस संहिता में किन-किन के मध्य विवाह हो सकता है, इसे स्पष्ट रूप से बताया गया है। विवाह एक पुरुष और एक महिला के बीच ही संपन्न हो सकता है।
- इस संहिता में पति अथवा पत्नी के जीवित होने की स्थिति में दूसरे विवाह को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है।
- अब तलाक के बाद दोबारा उसी पुरुष से या अन्य पुरुष से विवाह करने के लिए महिला को किसी प्रकार की शर्तों में नहीं बांधा जा सकता। यदि ऐसा कोई विषय संज्ञान में आता है, तो इसके लिए तीन वर्ष की कैद अथवा एक लाख रुपए जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान किया गया है।
- विवाह के उपरांत वैवाहिक दंपतियों में से कोई भी यदि बिना दूसरे की सहमति के धर्म परिवर्तन करता है तो दूसरे व्यक्ति को तलाक लेने और गुजारा भत्ता क्लेम करने का पूरा अधिकार होगा।
- एक महिला और एक पुरुष के मध्य होने वाले विवाह के धार्मिक/ सामाजिक विधि-विधानों को इस संहिता में छेड़ा नहीं गया है।
- इस एक्ट में यह प्रावधान किया है कि लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले युगल के लिए लड़की की उम्र 18 वर्ष या अधिक होनी चाहिए और उसको लिव इन रिलेशनशिप में रहने से पहले पहचान करने के उद्देश्य से एक रजिस्ट्रेशन कराना होगा और 21 वर्ष से कम के लड़का और लड़की दोनों को इस रजिस्ट्रेशन की जानकारी दोनों के माता पिता को देनी अनिवार्य होगी।

तलाक के बाद पुनर्विवाह के लिए कोई प्रतीक्षा अवधि नहीं है; न ही किसी महिला को अपने पूर्व पति से दोबारा शादी करने से पहले किसी अन्य व्यक्ति से शादी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये प्रावधान, जो इद्दत, तलाक और निकाह हलाला की अवधारणाओं को खत्म करते हैं, सभी प्रगतिशील और व्यक्तिगत अधिकार हैं। दिलचस्प बात यह है कि यह रिश्ते की निषिद्ध डिग्री के भीतर विवाह पर रोक के अपवाद के रूप में प्रथा और उपयोग की अनुमति देने वाले मौजूदा प्रावधान को संरक्षित करता है, लेकिन एक शर्त जोड़ता है कि ऐसी प्रथा सार्वजनिक नीति या नैतिकता के खिलाफ नहीं हो सकती है। इन सबका एक दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम यह है कि आम चुनाव से पहले ध्रुवीकरण की चर्चा आकार ले रही है। एकरूपता की खोज में न्याय की अवधारणा को खोना नहीं चाहिए, जो समानता के आकस्मिक परिणाम से अधिक कुछ नहीं होना चाहिए।

प्रारंभिक परीक्षा के संभावित प्रश्न (Prelims Expected Question)

प्रश्न : उत्तराखंड समान नागरिक संहिता विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

1. मुस्लिम महिलाओं और पुरुषों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु हिंदुओं के समान कर दी गई है।
2. सभी लिव-इन रिलेशनशिप को कानून के तहत अधिसूचित पंजीकरण प्राधिकारी के साथ पंजीकृत करना होगा।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

Que. Consider the following statements with reference to Uttarakhand Uniform Civil Code Bill-

1. The minimum age of marriage for Muslim women and men has been made the same as for Hindus.
2. All live-in relationships will have to be registered with the registering authority notified under the law.

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 1
(b) Only 2
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 and nor 2

उत्तर : C

मुख्य परीक्षा के संभावित प्रश्न व प्रारूप (Expected Question & Format)

प्रश्न: एकरूपता की खोज में न्याय की अवधारणा को खोना नहीं चाहिए, जो समानता के आकस्मिक परिणाम से अधिक कुछ नहीं होना चाहिए। उत्तराखंड सरकार के समान नागरिक संहिता विधेयक का विश्लेषण इस कथन के संदर्भ में करें।

उत्तर का दृष्टिकोण :

- उत्तर के पहले भाग में उत्तराखंड सरकार के समान नागरिक संहिता विधेयक के प्रमुख प्रावधानों को स्पष्ट करें।
- दूसरे भाग में इन प्रावधानों का विश्लेषण प्रश्न में दिए गए कथन के संदर्भ में करें।
- अंत में सुझाव देते हुए निष्कर्ष दें।

नोट : अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।